न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–113/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/113)

1. किशन पुत्र बन्ना
2. बाबूलाल पुत्र बन्ना
3. जितेन्द्र पुत्र बन्ना
4. रतनी पत्नि बन्ना
5. हीरा पुत्र खाजू
6. सुरजकरण पुत्र खाजू

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम झाग तहसील मौजमाबाद जिला दूदू

अपीलांट्स

बनाम

1. कैलाश पुत्र भंवरलाल
2. गणेश पुत्र भंवरलाल
3. जैतू पत्नि भंवरलाल
4. शंकर पुत्र भंवरलाल
5. श्योजी पुत्र भंवरलाल
6. सुप्यार पुत्री भंवरलाल
7. हनुमान पुत्र भंवरलाल

   समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम झाग तहसील मौजमाबाद जिला दूदू
8. शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक शाखा बगरू जिला दूदू
9. शाखा प्रबंधक मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा झाग जिला दूदू
10. श्रीमान शाखा प्रबंधक आई0सी0आई0 बैंक शाखा बगरू जिला दूदू
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मौजमाबाद जिला दूदू

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद राजस्व वाद संख्या 152/2023

उपस्थितः–

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दीपक पारीक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 11
4. रेस्पोडेंट संख्या 8, 9 व 10 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–04.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 152/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भगवसिंहपुरा, पटवार हल्का झाग भू अभि0नि0क्षेत्र गंगातीकलां, तहसील मौजमाबाद में खाता संख्या 117 आराजी खसरा संख्या 103 रकबा 1.3200 है0 स्थित है। इसी प्रकार ग्राम झाग पटवार हल्का झाग भू अभि0नि0क्षेत्र गंगातीकलां, तहसील मौजमाबाद में खाता संख्या 770 कुल किता 06 कुल रकबा 09.2300 है0 आराजी स्थित है।

उक्त वर्णित आराजी बाबत वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 7 ने प्रतिवादीगण/अपीलांट के विरूद्ध एक राजस्व वाद पत्र बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू के समक्ष पेश किया। न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू ने दिनांक 25.5.2022 को बउनवानी कैलाश वगेरह बनाम किशन वगैरह राजस्व वाद पत्र संख्या 75/2022 को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किए जाने का आदेश प्रदान किया, तत्पश्चात प्रकरण प्रतिवादीगण/अपीलांट न्यायालय ने जरिए अभिभाषक उपस्थित होकर आगामी पेशी दिनांक 19.9.2022 प्रतिवादीगण/अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद कथनों से इंकार करते जवाब प्रस्तुत किया। वादीगण/अपीलांट ने प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक राजस्व वाद पत्र बाबत विभाजन एंव स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू ने दिनांक 6.6.2022 को बउनवानी किशन वगैरह बनाम कैलाश वगैरह राजस्व वाद पत्र संख्या 81/2022 को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किए जाने का आदेश प्रदान किया। दोनों वाद के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 14.12.2022 को दोनों प्रकरण में लिप्त आराजी एवं पक्षकार समान होने से पश्चयातवर्ती राजस्व वाद पत्र बउनवानी किशन वगैरह बनाम कैलाश वगैरह राजस्व वाद पत्र संख्या 81/2022 को पूर्व वाद बउनवानी कैलाश वगैरह बनाम किशनग वगैरह राजस्व वाद पत्र संख्या 75/2022 के साथ संयोजित किए जाने का आदेश प्रदान किया गया तत्पश्चात प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर,दूदू से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद में क्षेत्राधिकार के समक्ष दर्ज कर प्रकरण राजस्व वाद संख्या 152/2023 बउनवानी कैलाश वगैरह बनाम किशन वगैरह दर्ज किया जाकर प्रकरण में आगामी विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य अभिलेख लिए बिना एवं प्रतिवादीगण/अपीलांट के प्रस्तुत मूल वाद संख्या 81/2022 एवं वाद संख्या 75/2022 में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में कब्जे अनुसार बंटवारा करने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद के द्वारा दिनांक 9.5.2024 को अपीलग्रस्त प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 152/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 8, 9 व 10 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद ने बिना पत्रावाली का अवलोकन किए ही अंतिम निर्णय कर दिया गया जबकि पत्रावली में वाद एवं जवाब के आधार पर बिना विधिक बिंदु पर तनकीयात कायम करे, प्रकरण की प्रकृति को मध्य नजर रखे बिना संपूर्ण वाद का अवलोकन किए ही एक नोन स्पीकिंग निर्णय पारित कर दिया गया। इस बाबत कोई विवेचना नहीं की गई है ना ही तनकी बनाई एवं ना तनकीवार निर्णय किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद के द्वारा प्रकरण को प्राथमिक स्थिति में नियत था जो बिना साक्ष्य वादीगण एवं प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किए ही प्राथमिक स्तर पर वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त मौजूदा संपूर्ण आराजी वाद में लिप्त होने के बाद भी वाद की बिना गुणावगुण पर सुनवाई

का अवसर नहीं दिया गया प्रकरण में कोई विधिक कार्यवाही ही नहीं की गई जो स्वयं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद के समक्ष प्रस्तुत पत्रावली में प्रतिवादीगण/अपीलांट की ओर से प्रस्तुत राजस्व वाद पत्र बउनवानी किशन वगैरह बनाम कैलाश वगैरह राजस्व वाद संख्या 81/2022 एवं वर्तमान रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 75/2022 के कथनों को इंकार करते जवाब प्रस्तुत किया कि प्रकरण में लिप्त आराजी का बाहमी बंटवारा होकर अपीलांट के हक में मौके पर बंटवारा होकर काबिज है। जिसका बिना विश्लेषण किए उक्त बिंदु के आधार पर बिना तनकीयात कायम किए एवं साक्ष्य अभिलेख पर लिए बिना उक्त प्रकरण में उनके द्वारा निर्णय व डिक्री पारित किया गया। वर्णित आराजी बाबत वादीगण/अपीलांट ने प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक राजस्व वाद पत्र बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत प्रस्तुत किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजीयात है वादीगण बाहमी बंटवारा अनुसार काबिज चले आ रहे है, जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य काफी वर्षों से बाहमी बंटवारा होकर आराजी को वादीगण द्वारा विकसित किया गया, जो आराजी का मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा किया जाना आवश्यक है, इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादीण के मध्य मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे, जिस पर न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू ने दिनांक 06. 06.2022 को बउनवानी किशन वगैरह बनाम् कैलाश वगैरह राजस्व वाद पत्र संख्या 81/2022 को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने का आदेश प्रदान किया, तत्पश्चयात प्रकरण प्रतिवादीगण/रेस्पों० न्यायालय में जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर आगामी पेशी दिनांक 18.07. 2022 वादीगण/अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद कथनों मौके बट में आयी आराजी के हिस्से स्वीकार करते हुए मात्र मेड के झगडा अंकित कर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में लिप्त आराजी का बंटवारा होकर प्रतिवादीगण/रेस्पों० के हक में बंटवारा किया जाने का निवेदन किया, तत्पश्चयात दोनों वाद के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 14.12.2022 को दोनों प्रकरण में लिप्त आराजी एवं पक्षकार समान होने से पश्चयातवर्ती राजस्व वाद पत्र बउनवानी किशन वगैरह बनाम् कैलाश वगैरह राजस्व वाद पत्र संख्या 81/2022 को पूर्व वाद बउनवानी कैलाश वगैरह बनाम् किशन वगैरह राजस्व वाद पत्र संख्या 75/2022 के साथ संयोजीत किये जाने का आदेश प्रदान किया गया, तत्पश्चयात प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद में क्षेत्राधिकार के समक्ष दर्ज कर प्रकरण राजस्व वाद संख्या 152/2023 बउनवानी कैलाश वगैरह बनाम किशन वगैरह दर्ज किया जाकर, प्रकरण में आगामी विधिक प्रकिया अपनाये बिना प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य अभिलेख लिये बिना एवं प्रतिवादीगण/अपीलांट के प्रस्तुत मूल वाद संख्या 81/2022 एवं वाद संख्या 75/2022 में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में कब्जे अनुसार बंटवारा करने का निवेदन किया गया, जिसको दरकिनार कर प्रकरण में बिना विधिक कार्यवाही किये, अपीलांट को बिना पूर्ण सुनवाई साक्ष्य का अवर प्रदान किये एवं राजस्व अभिलेख एवं विधि द्वारा बनाये गये प्रावधान एवं उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपाद्धित सिद्धांतो के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है, जो राजस्व अभिलेख एवं प्रावधानो के अनुसार न पारित कर, अपीलांट हितो के प्रति वादीगण/रेस्पोडेंट को अवांछित लाभान्वित करने की गरज से निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 152/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2024 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि राजस्व ग्राम भगवतसिंहपुरा तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वतं 2073 में 2076 के खाता संख्या 117 में आराजी नम्बर 103 रकबा 1.3200 है० एवं खाता संख्या 770 के आराजी न0 1593 रकबा 0.5900 है० आराजी न० 1621 रकबा 6400 है०, आराजी 1920 रकबा 0.8500 है०, आराजी न० 1921 रकबा 0.0300 है०, आराजी न० 1922 रकबा 5.2700 है०, आराजी न० 1924 रकबा 18500 है०, कुल किता 06 रकबा 9.2300 है० भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 से 7 की संयुक्त स्वामित्य एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित है। विवादित आराजीयात अविभाजित कृषि भूमि है, जिसका विधिक तकासमा नहीं किया गया है मौके पर पक्षकारान अपने अपने हक व हिस्से के अनुरूप काबिज काश्त है तथा नलबंट बाहमी बंटवारे के अनुरूप मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात का विधिक बंटवारा नहीं होने से पक्षकारान के मध्य आये दिन मेर कोर को लेकर एवं सीमा हद हदूदू को लेकर विवाद होते रहते है. चूंकि भूमि संयुक्त खातेदारी दर्ज हाने से प्रत्यके खातेदार का प्रत्येक इंच पर हक व अधिकार जाता है इसलिये वादीगण एवं प्रतिवादीगण बाहजोत, कन्वर्जन एवं सुविधानुरूप डवलपमेंट में व्यवधान आये दिन उत्पन्न होते रहते है। वादग्रस्त आराजीयात अविभाजीत होने से प्रतिवादीगण अपनी इच्छानुसार काबिज होना चाहते है जबकि बुजुर्गान के समय से वादीगण ने अपनी आराजीयात को काफी विकसित कर लिया है। जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नही हैं। वादीगण अपनी विकसित जमीन को तारबन्दी कर स्थायी मेंड डालना चाहते है, जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा विरोध उत्पन्न किया गया इस पर वादीगण ने तकासमा करवाने के लिये भी निवेदन किया लेकिन हमेशा टालमटोल करते रहे तथा हाल ही में जमीन खाली पडी हुई है तथा वादीगण ने तकासमा करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। वादग्रस्त भूमियों में हिस्से अनुसार विभाजन कराया जाकर वादीगण का वाद बाबत तकासमा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 डिकी फरमायी जाकर विवादित आरोजीयात खसरा न० 103 रकबा 1.32 है० वाके ग्राम भगवतसिहंपुरा एवं खसरा न० 1593,1621,1920, 1921,1922, 1924, कुल किता 06 कुल रकबा 9.2300 हैक्टयर भूमि वाके मिट्स एण्ड बोण्ड्स के सिद्धांत के अनुसार फरमाया जाकर लगान की फेटबंदी अलहदा अलहदा फरमाई जाकर वादीगण को स्वतंत्र आधिपत्य दिलाया जावे एवं राजस्व अभिलेख में स्वतंत्र अंकन कराया जावे। वादी को विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि के बारे में वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 7 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान कराई जावे कि वादीगण विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप कारित नहीं करे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट प्रस्तुत किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में कार्यवाही करते हुए वादी का वाद दिनांक 09.05.2024 बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2024 को किए गए निर्णय एवं डिक्री में अपीलांट को बिना साक्ष्य का अवसर प्रदान किए ही उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य अभिलेख पर लिए बिना विधि द्वारा बनाए गए प्रावधान एवं उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत जाकर न्याय नियमों को दरकिनार करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद एवं जवाब के आधार पर बिना विधिक बिंदु पर तनकीयात कायम किए नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 20 नियम 5 को दरकिनार करते हुए प्रकरण में बिना तनकीयात कायम किए उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किए जाने में विधिक व न्यायिक त्रुटि कारित हुई है।

उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 152/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णित करे तथा तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में (नियम 18 से 21 की पालना करते हुए) बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते हुए व उक्त रिपोर्ट पर उनकी आपत्ति व जवाब लेकर उनका निस्तारण करते हुए पुनः प्राथमिक डिक्री जारी करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.06.2025 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर